

47
10:15 Am

प्रेषक,

रमेश कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन चौबटिया-रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक-22 सितम्बर, 2017

विषय:- लहसुन बीज प्रजाति यमुना सफेद एवं एग्रीफाउन्ड पार्वती के क्रय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-299/उद्यान/2017-18, दिनांक-06 सितम्बर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा लहसुन बीज यमुना सफेद दर प्रति कुन्तल रू0 6,770/- के आधार पर 144.32 कुन्तल हेतु रू0 9,77,046.40 एवं एग्रीफाउन्ड पार्वती दर प्रति कुन्तल रू0 10,370/- के आधा पर 208.00 कुन्तल हेतु रू0 21,56,960.00 समग्र रूप से कुल रू0 31,34,006.40 (रू0 इकत्तीस लाख चौतीस हजार छः पैसे चालीस मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में गठित विभागीय समिति एवं आपके द्वारा की गई संस्तुति के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लहसुन बीज यमुना सफेद दर प्रति कुन्तल रू0 6,770/- के आधार पर 144.32 कुन्तल हेतु रू0 9,77,046.40 एवं एग्रीफाउन्ड पार्वती दर प्रति कुन्तल रू0 10,370/- के आधा पर 208.00 कुन्तल हेतु रू0 21,56,960.00 समग्र रूप से कुल रू0 31,34,006.40 (रू0 इकत्तीस लाख चौतीस हजार छः पैसे चालीस मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति महामहिम श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- 1- यह अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रदान की जा रही है। लहसुन बीज की आपूर्ति जनपद अधिकारियों की मॉगानुसार, जिसका विवरण शासन को उपलब्ध कराया गया है, के अन्तर्गत एवं बजट की सीमान्तर्गत की जायेगी। विधिक परिस्थितियों में सम्पूर्ण दायित्व निदेशक, उद्यान का होगा।
- 2- लहसुन बीज यमुना सफेद एवं एग्रीफाउन्ड पार्वती का क्रय "उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेंट) नियमावली, 2017" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा विपरीत परिस्थितियों में सम्पूर्ण दायित्व विभागीय गठित समिति का होगा।
- 3- लहसुन बीज की गुणवत्ता अनुमोदित गुणवत्ता के अनुसार होने का दायित्व सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों का होगा।
- 4- इस सम्बन्ध में समस्त वित्तीय नियमों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5- लहसुन बीज का क्रय निर्धारित बजट की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

कमश:-2

 -1173-

(2)

- 6- लहसुन बीज क्रय करने में अत्यधिक विलम्ब हो चुका है। अतः किसानों को समय से लहसुन की बुवाई करने हेतु प्रत्येक अवस्था में 30 सितम्बर तक बीज वितरित कर दिया जाय।
- 7- लहसुन बीज का क्रय निर्धारित मानकों के आधार पर ही किया जाय।
- 8- लहसुन बीज की गुणवत्ता के लिये आपूर्ति से पूर्व एक समिति गठित कर बीजों की पुष्टि करा ली जाय।

भवदीय,

(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1610 /XVI(1)/17/5(43)/2010, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराँय मोटर्स, माजरा, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ निजी सचिव, मा0उद्यान मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निजी सचिव, सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, 23-लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
- 6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- व्यय वित्त नियंत्रण (वित्त अनुभाग-4), उत्तराखण्ड शासन।
- 9- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
उप सचिव।